रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13082021-228972
CG-MH-E-13082021-228972

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943
No. 338] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SHRAVANA 22, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 13 अगस्त, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ/जी.एन./2021/45.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा ।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में,-
   I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (तत) में, उप-खंड (iii) में, मद (ग) का लोप हो जाएगा ।
   II. विनियम 16 में,-
      i. उप-विनियम (1) में, खंड (क) में, शब्द तथा चिह्न "वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख या आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव में आबंटन की तारीख (जो भी बाद में हो) से तीन वर्षों", शब्दों तथा चिह्नों "आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) में आबंटन की तारीख से अठारह महीनों" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे ।

ii. उप-विनियम (1) में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि यदि निर्गम से आए पैसे (इश्यू प्रोसीड्स) [`विक्रय के लिए प्रस्ताव' (ऑफर फॉर सेल) के हिस्से को छोड़कर] के अधिकांश हिस्से का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय के लिए किए जाने का प्रस्ताव हो, तो ऐसे में लॉक-इन (अवरुद्धता) की अवधि आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) में आबंटन की तारीख से तीन वर्षों की होगी ।"

iii. उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में, शब्द "एक वर्ष", शब्दों "छह महीनों" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे ।

iv. उप-विनियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि यदि निर्गम से आए पैसे (इश्यू प्रोसीड्स) [`विक्रय के लिए प्रस्ताव' (ऑफर फॉर सेल) के हिस्से को छोड़कर] के अधिकांश हिस्से का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय के लिए किए जाने का प्रस्ताव हो, तो ऐसे में लॉक-इन (अवरुद्धता) की अवधि आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) में आबंटन की तारीख से एक वर्ष की होगी ।"

v. उप-विनियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, मौजूदा स्पष्टीकरण निम्नलिखित नए स्पष्टीकरण से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, "पूंजीगत व्यय" में शामिल होंगे – सिविल कार्य, विविध अचल आस्तियाँ (फिक्स्ड असेट्स), जमीन, भवन तथा संयंत्र (प्लांट) और मशीन के संबंध में की जाने वाली खरीद, आदि।"

III. विनियम 17 में,-

i. शब्द "एक वर्ष", शब्दों "छह महीनों" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे ।

ii. परंतुक में, खंड (ग) में, शब्द "एक वर्ष", शब्दों "छह महीनों" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे ।

IV. विनियम 115 में,-

i. खंड (क) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(क) संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) का न्यूनतम अंशदान [जिसमें आनुकल्पिक निवेश निधियों या विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों (जो भी लागू हो) द्वारा किया गया अंशदान शामिल है] बाद वाले सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) में आबंटन की तारीख से अठारह महीनों की अवधि के लिए लॉक-इन रहेगा;"

ii. खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि यदि निर्गम से आए पैसे (इश्यू प्रोसीड्स) [`विक्रय के लिए प्रस्ताव' (ऑफर फॉर सेल) के हिस्से को छोड़कर] के अधिकांश हिस्से का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय के लिए किए जाने का प्रस्ताव हो, तो ऐसे में लॉक-इन (अवरुद्धता) की अवधि आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) में आबंटन की तारीख से तीन वर्षों की होगी ।"

iii. खंड (ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(ख) संप्रवर्तकों के न्यूनतम अंशदान से अधिक की संप्रवर्तकों की धारिता (होल्डिंग) छह महीनों की अवधि के लिए लॉक-इन रहेगी ।"

iv. खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि यदि निर्गम से आए पैसे (इश्यू प्रोसीड्स) [`विक्रय के लिए प्रस्ताव' (ऑफर फॉर सेल) के हिस्से को छोड़कर] के अधिकांश हिस्से का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय के लिए किए जाने का प्रस्ताव हो, तो ऐसे में लॉक-इन (अवरुद्धता) की अवधि आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) में आबंटन की तारीख से एक वर्ष की होगी ।"

v. खंड (ग) के पश्चात्, मौजूदा स्पष्टीकरण निम्नलिखित नए स्पष्टीकरण से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनार्थ, "पूंजीगत व्यय" में शामिल होंगे – सिविल कार्य, विविध अचल आस्तियाँ (फिक्स्ड असेट्स), जमीन, भवन तथा संयंत्र (प्लांट) और मशीन के संबंध में की जाने वाली खरीद, आदि ।"

V. विनियम 117 में, शब्द "के तीन वर्षों", शब्दों "की तारीख से अठारह महीनों" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे ।

VI. अनुसूची-VI में, भाग-क में,-

i. खंड (5) में, उप-खंड (छ) में, मद (9) में, दिए हुए शब्दों "या समूह कंपनियों" का लोप हो जाएगा ।

ii. खंड (5) में, उप-खंड (छ) में, मद (10) में, दिए हुए शब्दों "या समूह कंपनियों" का लोप हो जाएगा ।

iii. खंड (5) में, उप-खंड (छ) में, मद (30) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(30) निर्गमकर्ता (इश्यूअर) और सूचीबद्ध समनुषंगियों (लिस्टिड सब्सिडियरीज़) के खिलाफ बड़ी संख्या में निवेशकों की लंबित शिकायतों का होना;"

iv. खंड (13) में, उप-खंड (क) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(क) यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) सरकारी कंपनी, कानूनी प्रावधानों के तहत बनाया गया प्राधिकरण (स्टैट्यूटरी अथॉरिटी) या निगम (कारपोरेशन) अथवा उनमें से किसी के द्वारा बनाया गया कोई विशेष प्रयोजन माध्यम (स्पेशल पर्पज़ वीहिकल) न हो, तो प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में सभी समूह (ग्रुप) कंपनियों के नाम और उनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते दिए जाएंगे ।

संबंधित समूह कंपनी [सूचीबद्ध (लिस्टिड) / असूचीगत (अनलिस्टिड)] के वेबसाइट पर शीर्ष पाँच समूह कंपनियों [सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) के आधार पर / असूचीगत कंपनियों के मामले में व्यापारावर्त (टर्नओवर) के आधार पर] के संबंध में लेखापरीक्षित विवरणों के आधार पर निम्नानुसार जानकारी डलवाई जाएगी:

(i) आरक्षितियों (रिज़र्व्स) [पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति (रीवैल्यूएशन रिज़र्व) को छोड़कर] की जानकारी;

(ii) बिक्री की जानकारी;

(iii) कर पश्चात् लाभ की जानकारी;

(iv) प्रति शेयर आमदनी की जानकारी;

(v) घटाकर निकाली गई (डाइल्यूटेड) प्रति शेयर आमदनी की जानकारी; और

(vi) शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू) की जानकारी ।

प्रस्ताव दस्तावेज में उस वेबसाइट का उल्लेख होगा, जहाँ समूह कंपनियों की जानकारी डलवाई गई हो।"

v. खंड (13) में, उप-खंड (ख), (ग), (ङ) एवं (च) का लोप हो जाएगा और उप-खंड (घ) एवं (छ) तदनुसार पुनःसंख्यांकित हो जाएंगे ।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./202/2021-22]

<u>पाद टिप्पण:</u>

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 तत्पश्चात् -

(क) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57, द्वारा

(ख) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/05, द्वारा

(ग) 5 अप्रैल, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/08, द्वारा

(घ) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/29, द्वारा

(ङ) 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/35, द्वारा

(च) 6 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/42, द्वारा

(छ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/47, द्वारा

(ज) 1 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/01, द्वारा

(झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(ञ) 8 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/011, द्वारा

(ट) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/17, द्वारा

(ठ) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/18, द्वारा

(ड) 1 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/21, द्वारा

(ढ) 28 सितम्बर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/31, द्वारा

(ण) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2021/03, द्वारा

(त) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/18, द्वारा

(थ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th August, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/45.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, -

I. In regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (pp), under sub-clause (iii), the point (C) shall be omitted.

II. In regulation 16, -

i. in sub-regulation (1), in clause (a), the words “three years from the date of commencement of commercial production or date of allotment in the initial public offer, whichever is later”, shall be substituted with the words “eighteen months from the date of allotment in the initial public offer”.

ii. in sub-regulation (1), after clause (a), the following proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that in case the majority of the issue proceeds excluding the portion of offer for sale is proposed to be utilized for capital expenditure, then the lock-in period shall be three years from the date of allotment in the initial public offer.”

iii. in sub-regulation (1), in clause (b), the words “one year” shall be substituted with the words “six months”.

iv. in sub-regulation (1), after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that in case the majority of the issue proceeds excluding the portion of offer for sale is proposed to be utilized for capital expenditure, then the lock-in period shall be one year from the date of allotment in the initial public offer.”

v. in sub-regulation (1), after clause (b), the existing Explanation shall be substituted with the following, namely, -

"Explanation: For the purpose of this sub-regulation, "capital expenditure" shall include civil work, miscellaneous fixed assets, purchase of land, building and plant and machinery, etc."

III. In regulation 17, -

i. the words "one year" shall be substituted with the words "six months".

ii. in the proviso under clause (c), the words "one year" shall be substituted with the words "six months".

IV. In regulation 115, -

i. in clause (a), the words "three years from the date of commencement of commercial production or from the date of allotment in further public offer, whichever is later;" shall be substituted with the words "eighteen months from the date of allotment of the further public offer:".

ii. after clause (a), the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that in case the majority of the issue proceeds excluding the portion of offer for sale is proposed to be utilized for capital expenditure, then the lock-in period shall be three years from the date of allotment in the initial public offer."

iii. in clause (b), the words "one year" shall be substituted with the words "six months".

iv. after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that in case the majority of the issue proceeds excluding the portion of offer for sale is proposed to be utilized for capital expenditure, then the lock-in period shall be one year from the date of allotment in the initial public offer."

v. after clause (c), the existing Explanation shall be substituted with the following, namely, -

"Explanation: For the purpose of this regulation, "capital expenditure" shall include civil work, miscellaneous fixed assets, purchase of land, building and plant and machinery, etc."

V. In regulation 117, the words "three years" shall be substituted with the words "eighteen months".

VI. In Schedule VI, in Part A, -

i. in clause (5), sub-clause (G), in point (9), the words "or group companies" shall be omitted.

ii. in clause (5), sub-clause (G), in point (10), the words "or group companies" shall be omitted.

iii. in clause (5), sub-clause (G), in point (30), the symbol "," shall be substituted with the word "and" and the words "and top 5 listed group companies by market capitalization" shall be omitted.

iv. in clause (13), sub-clause (A) shall be substituted as under:

"(A) In case of an issuer not being a government company, statutory authority or corporation or any special purpose vehicle set up by any of them, the names and registered office address of all the group companies shall be disclosed in the Offer Document.

The following information based on the audited statements in respect of top five group companies (based on market capitalization for listed/ based on turnover in case of unlisted) for the preceding three years shall be hosted on the website of the respective group company (listed/ unlisted):

(i) reserves (excluding revaluation reserve);

(ii) sales;

(iii) profit after tax;

(iv) earnings per share;

(v) diluted earnings per share; and

(vi) net asset value.

The offer document shall refer the website where the details of the group companies shall be available."

v. in clause (13), sub-clause (B), (C), (E) and (F) shall be omitted and sub-clause (D) and (G) shall be re-numbered accordingly.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./202/2021-22]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.

2. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was subsequently amended on -

(a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.

(b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/05.

(c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.

(d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/29.

(e) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/35.

(f) December 06, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/42.

(g) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/47.

(h) January 01, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/01.

(i) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

(j) May 08, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/11.

(k) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/17.

(l) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/18.

(m) July 1, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/21.

(n) September 28, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/31.

(o) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/03.

(p) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/18.

(q) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.